संख्या-369/22-4-2010-104(ब)/08

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक-28 फरवरी, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 मुख्य लेखाशीर्षक-2056-आयोजनेत्तर-101-03-समस्त कारागार के मानक मद 29-अनुरक्षण में उपलब्ध बचत से लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के मानक मद 09-विद्युत देय में रु0-3.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक कारागार के पत्र संख्या-4467/बजट-09-10 (पुनर्विनियोग) दिनांक-19 फरवरी,2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के मुख्य लेखाशीर्षक 2056-आयोजनेत्तर-101-03-समस्त कारागार के मानक मद 29-अनुरक्षण में उपलब्ध तात्कालिक बचतों से 800-अन्य व्यय-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के मानक मद 09-विद्युत देय में रु0-3.00 लाख के पुनर्विनियोग की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2056-800-अन्य व्यय-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के मानक मद 09-विद्युत देय के नामे डाला जायेगा एवं अनुदान संख्या-25 के अर्न्तगत राजस्व लेखा शीर्षक 2056-आयोजनेत्तर-101-03-समस्त कारागार के मानक मद 29-अनुरक्षण में होने वाली संभावित बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- उक्त अतिरिक्त धनराशि के पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि महानिरीक्षक, कारागार द्वारा व्यय से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर लिया जायेगा और धनराशि का उपयोग प्रक्रिया और समस्त संबंधित नियमों का पूर्ण अनुपालन एवं यथा आवश्यक सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही किया जायेगा।

PTO

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-622/दस-201 दिनांक-28 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-369(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- अनु सचिव/समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।